

an>

Title: Need to provide interest subvention on Mid-term loans in the country.

**श्री चॉद नाथ (अलवर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान सरकार की अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं द्वारा राज्य में अकाल की स्थिति में किसानों को सहायता देने के लिए अल्पकालिक फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जाता है। चूंकि मध्यकालीन परिवर्तित ऋण अल्पकालीन फसली ऋणों का ही विस्तारित रूप हैं। अतः प्रभावित किसानों को मध्यकालीन परिवर्तित ऋण भी अल्पकालीन फसली ऋणों के ब्याज दर पर ही दिया जाना उचित होगा। नाबार्ड द्वारा इन ऋणों को पुनर्भरण पर ली जाने वाली वर्तमान ब्याज दर सवा सात प्रतिशत वार्षिक को भी परिवर्तित कर 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया जाए। भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के समकक्ष ही मध्यकालीन परिवर्तित ऋणों पर भी ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात पूरी हो गयी, कृपया बैठ जाइए।

**श्री चॉद नाथ :** नाबार्ड द्वारा मध्यकालीन परिवर्तित ऋण की ब्याज दर भी अल्पकालीन फसली ऋण के समकक्ष ही निर्धारित किये जाने बावत निवेदन है। भारत सरकार द्वारा मध्यकालीन परिवर्तित ऋण पर भी अल्पकालीन फसली ऋण के समकक्ष ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको माननीय सदस्य श्री चॉद नाथ द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूँ।